Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर

हरीराम आदि ग्राम मलकीसर बारानी बनाम सरकार

किस्म मुकदमाः– 136 एलआरएक्ट

नं. मुकदमा......77/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.08.2020	आज यह पत्रावली तहसीलदार लूनकरनसर से उनके पत्र क्रमांक 13025 दिनांक 18.08.2020 के संलग्न प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्राप्त होने पर मुरतीब की गई । दर्ज रजिस्टर की जावे। मुताबिक रिकॉर्ड तहसीलदार लूनकरनसर ग्राम मलकीसर में गत खसरा नम्बर 282 की भू प्रबन्ध विभाग द्वारा वर्तमान खसरा नम्बर 50 से 56 तक व 80 की मौके व कब्जाकाश्त के विपरित की गई तरमीम को दुरूस्त करने तथा हवाई खसरा नम्बर 46, 695/46 से 698/46 की मौका अनुसार तरमीम दुरूस्ती हेतु निवेदन किया । संलग्न प्राप्त पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार ग्राम मलकीसर में भू प्रबन्ध विभाग द्वारा गत खसरा नम्बर 282 जिसके हाल खसरा नम्बर 46, 695/46, 696/46, 697/46, 698/46 हवाई दर्ज कर दिये एवं खसरा नम्बर 50 से 56 तक एवं 80 की तरमीम मौके के विपरित की गई है जिससे खातेदारों के मध्य अनावश्यक रूप से विवाद उत्पन्न हो सकते है। सभी खसरा नम्बर के खातेदार मौका व कब्जाकाश्त अनुसार तरमीम करने हेतु सहमत हैं। खसरा नम्बर गत 282 का आंशिक रकबा चक 18 एमकेडी में गया है जिसकी तरमीम भू प्रबन्ध विभाग द्वारा नहीं की गई हैं। मौका कब्जा काश्त अनुसार सभी खातेदारों का रकबा जमाबन्दी के अनुसार पूरा है अतः भू प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई सभी तरमीम खसरा नम्बर 50 से 56 तक एव खसरा नम्बर 80 की तरमीम निरस्त की जा कर यथाप्रस्ताव एवं मौका अनुसार की जानी उचित हैं। हवाई खसरा नम्बर 46, 695/46, 696/46, 697/46, 698/46 में से खसरा नम्बर 695/46, 696/46 व 46 का रकबा मौका काश्त व जमाबन्दी अनुसार पूरा है। खसरा नम्बर 697/46 का रकबा दो भागों में तरमीम करने पर पूरा होता है तथा खसरा नम्बर 698/46 का मौका पर कब्जा नहीं है परन्तु गत खसरा नम्बर 282 में खाली जगह बचने पर खाली रकबे के स्थान खसरा नम्बर 698/46 की यथा प्रस्ताव तरमीम करने बाबत रिपोर्ट पेश की । पटवारी हल्का की रिपोर्ट के संलग्न जमाबन्दी संवत् 2075–2078 ग्राम मलकीसर की आंशिक प्रमाणित प्रति प्रभावित खसरा नम्बरान की पेश की । प्रभावित काश्तकारों द्वारा समुहिक शपथ–पत्र पेश किया जिसमें उन्होने कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरूस्त करने बाबत अपनी सहमति प्रकट की पटवारी हल्का द्वारा ग्राम मलकीसर के मोमियां ट्रेस दो प्रतियों में पेश किया गया। हमने तहसीलदार लूनकरनसर से प्राप्त प्रस्ताव का अवलोकन किया एवं संलग्न नक्शा का भलीभान्ति परीक्षण किया हम ग्रम मलकीसर के प्रभावित काश्तकरों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार एवं पटवार हल्का की रिपोर्ट पूर्णतया सन्तुष्ट है । अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 136 के तहत ग्राम मलकीसर के गत खसरा नम्बर 282 की [illegible] प्रबन्ध विभाग द्वारा वर्तमान खसरा नम्बर 50 से 56 तक एवं ख[illegible]80 की मौका व कब्जा काश्त के विपरित की गई तरमीम को [illegible] आदेश प्रदान करते है एवं खसरा नम्बर 50 [illegible] 56 [illegible] की तरमीम की स्वीकृति प्रदान करते हैं। खसरा [illegible] 695/46 [illegible]/46 की मौका व कब्जा काश्त अनुसार तरमीम की स्वीकृति प्रदान की [illegible]ी हैं। तहसीलदार लूनकरनसर को प्रेषित नक्शा की एक प्रति इस आदेश के संलग्न प्रेषित की जावे कि मुताबिक आदेश तरमीम दुरूस्त कर पालना रिपोर्ट प्रेषित करावें। पत्रावली निर्णय में शुमार हो कर हस्ब जाब्ता दाखिल दफत्तर हों। 24/8/2020 (भागीरथ शाखा) उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.07.29 12:29:38 IST
Reason: SelfAttested